143

राजस्थान सरकार
निदेशालय मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 3 (2) मत्स्य/विकास/2017–18/26008–26043 दिनांकः 09/02/2021

1. उप निदेशक, मत्स्य
   उदयपुर/जयपुर।
2. समस्त सहायक निदेशक, मत्स्य,
3. समस्त मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी,

विषयः राज्य में महाशीर मछली के संरक्षण के क्रम में।

प्रसंगः निदेशालय की समसंख्यक पत्रावली पत्रांक 9831–62 दि. 05.09.2017, 19780–812 दि. 05.12.2018, 8351–90 दि. 23.5.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7077/14 सुओमोटो बनाम सरकार एवं डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4477/15 बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2017 को महाशीर मछली के संरक्षण बाबत निर्देश दिया गया। इस निर्देश की अनुपालना में राज्य में महाशीर मछली के संरक्षण हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा महाशीर महाशीर संरक्षण के निर्देश दिये जा चुके हैं।

इस संबंध में आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधीन आने वाले जलाशयों के मत्स्य ठेकेदारों/मत्स्य कृषकों को पाबन्द करें कि महाशीर मछली का आखेट नहीं किया जावे। मत्स्याखेट के दौरान जाल में आई महाशीर मछली को तुरन्त जीवित अवस्था में वापस पानी में छोड़ दिया जावे।

यदि किसी ठेकेदार/मत्स्य कृषक द्वारा महाशीर मछली का आखेट किया जाना पाया जाता है तो तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

यह शासन स्तर पर अनुमोदित है।

शासन सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग,
राज0, जयपुर।

क्रमांकः एफ 3 (2) मत्स्य/विकास/2017–18/ दिनांकः

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला कलेक्टर, उदयपुर को उनसे दिनांक 21.01.2021 को दूरभाष पर संयुक्त निदेशक, मत्स्य से हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक एफ 2 (28) तकनीकी–II/व.जी./99 दिनांक 18.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन सचिव